[2019] 5 एस. सी. आर. 1009

भारत का संघ

वी.

पारमार निर्माण कंपनी

(2019 की सिविल अपील संख्या 3303)

29 मार्च, 2019

[ए. एम. खानविलकर और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एस. 11 (6) - कार्य अनुबंध-पक्षों के बीच विवाद-समझौते में मध्यस्थता खंड को देखते हुए, प्रत्यर्थी ठेकेदार द्वारा अपीलार्थी को बकाया देय राशि के भुगतान के विवाद को हल करने के लिए अनुबंध के खंड का आह्वान करते हुए एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए भेजा गया नोटिस अपीलार्थी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया कि "कोई देय प्रमाण पत्र" पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और जिसके बाद मध्यस्थता के लिए कोई विवाद नहीं भेजा जाना चाहिए।

आवेदन यू/एस। 11 (6) स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा-उच्च न्यायालय ने एक

एक स्वतंत्र मध्यस्थ के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः सहमत शर्तों पर जोर दिया जाना चाहिए और पहले एक नामित मध्यस्थ की नियुक्ति के माध्यम से अनुबंध की शर्तों के तहत उत्पन्न होने वाले मतभेदों/विवादों को निपटाने के लिए समझौते के पक्षों के लिए निर्धारित और खुली प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए-मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर कभी संदेह नहीं किया गया है, लेकिन जहां यह संदेह में है या जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण

मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में नियुक्त व्यक्ति कार्य नहीं कर पाया है, या बिना कोई कारण बताए कार्यवाहियों को समाप्त करने या पुरस्कार पारित करने में विफल रहा है, एक नई नियुक्ति करना आवश्यक हो जाता है-तथ्यों पर, संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रवर्तन से बहुत पहले प्रतिवादी द्वारा भेजे गए नोटिस, इस प्रकार, 2015 के अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं-उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लिए बिना एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति को उचित नहीं ठहराया। अंतर्निर्मित तंत्र के तहत अनुबंध का खंड जैसा कि पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया गया और अलग कर दिया गया-अपीलकर्ताओं को मध्यस्थ की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया

समझौता-मध्यस्थता और सुलह (संशोधन अधिनियम), 2015।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अनुबंध या यदि रेलवे प्रतिष्ठान निर्धारित अवधि के भीतर कोई निर्णय लेने में विफल रहता है और विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे विवाद या मतभेद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना है और जो पक्षों के बीच ऐसे विवादों/मतभेदों का मध्यस्थता करेगा, महाप्रबंधक अधिकारी को नामित कर सकता है एकल के लिए आगे की प्रक्रिया निर्धारित किए जाने के साथ क्रमशः खंड 64 (3) (ए) (आई) और ए (आई) के तहत निर्दिष्ट पदनाम

विवादों का निर्णय करने के लिए मध्यस्थ या मध्यस्थ न्यायाधिकरण /

पक्षों के बीच अनुबंध की शर्तों के तहत उत्पन्न होने वाले मतभेद। [पैरा 20,21] [1025-जी-एच; 1026-ए-ई]

1.2 धारा 26 के साथ पठित धारा 21 का संयुक्त पठन इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि संशोधन के प्रावधान अधिनियम, 2015 ऐसी मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होगा जो मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के संदर्भ में शुरू हुई है जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों। संशोधन अधिनियम, 2015, जो कि <आई. डी. 1 पर लागू हुआ, भारत संघ बनाम में शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।

पारमार निर्माण कंपनी

संशोधन अधिनियम, 2015 के लागू होने से पहले मूल अधिनियम, 1996 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार, जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों। [पारस 25,26] [1027-ई; 1029-सी-डी]

1.3 तत्काल मामले में, अपीलकर्ताओं द्वारा संबंधित अपील में अनुरोध किया गया था और उससे बहुत पहले प्राप्त किया गया था

संशोधन अधिनियम, 2015 लागू हुआ। चाहे आवेदन मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए लंबित था या अस्वीकृति के मामले में कोई दावा नहीं होने के कारण जैसा कि तत्काल मामले में है

मध्यस्थ के परिवर्तन/प्रतिस्थापन सहित मध्यस्थ की नियुक्ति, मूल अधिनियम, 1996 की धारा 21 के संदर्भ में संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रावधानों को लागू करने के लिए किसी भी कानूनी प्रभाव का नहीं होगी। प्रत्यर्थी ठेकेदारों द्वारा किए गए आवेदनों/अनुरोधों की तदनुसार जांच की जानी चाहिए।

1.4 पूर्ण प्रकार का कोई नियम नहीं हो सकता है और प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों और परिस्थितियों पर देखा जाना चाहिए। जिसमे साथ ही, यह न्यायालय जमीनी वास्तविकताओं से बेखबर नहीं हो सकता है कि जहां एक छोटे/छोटे ठेकेदार ने कार्य अनुबंध को निष्पादित करने के लिए अपने उपलब्ध संसाधनों से निवेश किया है और बिना किसी औचित्य के उसके और रेलवे प्रतिष्ठानों/अपीलार्थियों द्वारा की गई वृद्धि लागत के लिए बिल जुटाए गए हैं, तो दावे को एकतरफा रूप से कम कर दिया जाता है और प्रस्तुत किए जा रहे अनापत्ति प्रमाण पत्र का बचाव किया जाता है, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा आरोप लगाया गया है

अंतिम बिलों को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत किया गया। [पैरा 33] [1033-सी-ई]

1.5 प्रत्यर्थी ठेकेदार हैं और अपीलों के तत्काल समूह में रेलवे प्रतिष्ठान से जुड़े हैं

प्रतिभूति जमा/बैंक गारंटी की वापसी का दावा करना, जिसे जब्त कर लिया गया है या बिना किसी औचित्य के अंतिम चालान से वृद्धि लागत को एकतरफा रूप से कम कर दिया गया है। अभिलेख पर अभिवचनों से यह स्पष्ट है कि रेलवे प्रतिष्ठान के साथ निर्माण कार्यों के लिए अनुबंध करने वाले प्रतिवादी ठेकेदार नियोक्ता से कोई नाराजगी नहीं ले सकते हैं, विभिन्न कारणों से बिलों के तहत राशि [2019] 5 एस. सी. आर.

जिसमें बैंक, वित्तीय संस्थानों और अन्य व्यक्तियों, वास्तव में रेलवे के प्रति उसके दायित्व का निर्वहन शामिल हो सकता है।

प्रतिष्ठान का हाथ ऊपर है। एक खंडन योग्य अनुमान लगाया जा सकता है कि जब अंतिम बिलों को एकतरफा तरीके से उठाए जाने के समय निर्धारित प्रारूप में कोई दावा नहीं किया गया है।

1.6 धारा 11 की उप-धारा (6) का खंड (सी) किसी व्यक्ति को सौंपे गए किसी भी कार्य को करने में विफलता से संबंधित है, जिसमें संस्था और सहमत प्रक्रिया के तहत कार्य करने में विफलता

दलों द्वारा। दूसरे शब्दों में, खंड (ए) उस प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्य करने में विफल रहने वाले पक्ष को संदर्भित करता है; खंड (बी) उस समझौते को संदर्भित करता है जहां पक्ष उस प्रक्रिया के तहत उनसे अपेक्षित समझौते तक पहुंचने में विफल रहते हैं और खंड (सी) एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो समझौते का पक्षकार नहीं हो सकता है, लेकिन उसने समझौते के लिए अपनी सहमति दे दी है और आगे जो स्पष्ट होता है वह यह है कि किसी अन्य विकल्प का सहारा लेने से पहले, सहमत प्रक्रिया को उसकी प्राथमिकता दी जानी चाहिए और समझौते की शर्तों को पक्षकारों द्वारा यथासंभव सहमति के अनुसार उसका उचित प्रभाव दिया जाना चाहिए। सुधारात्मक उपाय पहले किए जाने चाहिए और न्यायालय अंतिम उपाय है। अधिनियम, 1996 की धारा 11 की उप-धारा (8) के संदर्भ में एक मध्यस्थ की नियुक्ति करके, पक्षों के समझौते द्वारा मध्यस्थ के लिए आवश्यक योग्यता और अन्य विचारों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ को सुरक्षित करना। नियम और शर्तों के साथ उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो प्रकृति में संचयी हैं, न्यायालय को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि अनुबंध के संदर्भ में पक्षों के बीच सहमति के अनुसार प्रदान किया गया उपाय पहले समाप्त हो जाए। [पैरा 38] [1039-ए-ई]

1.7 यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सहमत शर्तों पर कार्य करे और पहले निर्धारित प्रक्रिया का सहारा ले।

भारत संघ की नियुक्ति के माध्यम से अनुबंध की शर्तों के तहत उत्पन्न होने वाले मतभेदों/विवादों को निपटाने के लिए समझौते के पक्षकार।

पारमार निर्माण कंपनी

नामित मध्यस्थ हालांकि मध्यस्थता समझौते में नाम अनिवार्य या अनिवार्य नहीं है, लेकिन हमेशा मध्यस्थता समझौते की शर्तों का पालन करने या यथासंभव निकटता से प्रभाव देने पर जोर दिया जाना चाहिए। [पैरा 41] [1043-डी-ई]

1.8 मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता कभी नहीं रही है।

संदेह किया गया है लेकिन जहां मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में मध्यस्थ की निष्पक्षता संदेह में है या जहां मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में नियुक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने काम नहीं किया है, या बिना कोई कारण बताए कार्यवाही को समाप्त करने या कोई पुरस्कार पारित करने में विफल रहा है और नई नियुक्ति करना आवश्यक हो गया है, तो मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति उचित मामलों में ठोस कारण निर्धारित करने के बाद दी गई परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति को प्रभावी बनाने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था का सहारा ले सकते हैं। [पैरा 43] [1044-बी-डी]

1.9 उच्च न्यायालय की नियुक्ति उचित नहीं थी

एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया का सहारा लिए बिना स्वतंत्र मध्यस्थ जो पक्षकारों द्वारा सहमत अंतर्निर्मित तंत्र के तहत अनुबंध के खंड 64 (3) के तहत निर्धारित किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है। अपीलार्थियों को निर्धारित अवधि के भीतर समझौते के खंड 64 (3) के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 44,45] [1045-बी-सी]

एम/एस। अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम। युग.

इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड (2017) 15 एससीसी 32;

एस. पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्रा. लिमिटेड वी. हिमाचल राज्य

प्रदेश और अन्य 2018 (15) स्केल 421; भारत और अन्य बनाम। मास्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी

(2011) 12 एससीसी 349 [2011] 5 एससीआर 853; नया भारत

आश्वासन कंपनी लिमिटेड बनाम वी.

जीन शक्ति

इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2015) 2 एस. सी. सी. 424: [2014] 12 एससीआर

360 ; ओ. एन. जी. सी. मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम एएनएस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और ए. एन. आर. (2018) 3 एससीसी 373:

[2018] 2 एस. सी. आर. 598; भारत संघ और एक अन्य बनाम एमपी.

गुप्ता (2004) 1) एस. सी. सी. 504; भारत संघ और अन्य

वी. वी. एस. इंजीनियरिंग (पी) लिमिटेड (2006) 13 एस. सी. सी. 240:

9 पूरक। एस. सी. आर. 125; उत्तर रेलवे प्रशासन, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली बनाम। पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (2008) 10 एस. सी. सी. 240: [2008] 12 एस. सी. आर. 216; भारत संघ बनाम। सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट (2009) 4 एससीसी 523: [2009] 3 एस. सी. आर. 563; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। बोघरा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड (2009) 1 एस. सी. सी. 267: [2008] 13 एस. सी. आर. 638; दातार स्विचगियर्स लिमिटेड बनाम टाटा फाइनेंस लिमिटेड और एक अन्य (2000) 8 एस. सी. सी. 151; पुंज लॉयड लिमिटेड बनाम। पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड (2006) 2 एससीसी 638; भारत संघ बनाम। भारत बैटरी विनिर्माण कंपनी (पी) लिमिटेड (2007) 7 एस. सी. सी. 684: [2007] 8 एस. सी. आर. 993; उत्तर पूर्वी रेलवे और अन्य बनाम ट्रिप्ल इंजीनियरिंग वर्क्स (2014) 9 एस. सी. सी. 288 [2014] 6 एस. सी. आर. 1143; भारत संघ और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम लिमिटेड (2015) 2 एस. सी. सी. 52; भारत संघ बनाम। किशोरीलाल गुप्ता और ब्रदर्स। ए. आई. आर 1959 एस. सी 1362: [1960] एससीआर 493; पी. के. रमैया एंड कंपनी बनाम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। (1994) 3 पूरक। एस. सी. सी. 126; महाराष्ट्र राज्य बनाम नव भारत बिल्डर्स (1994) 3 पूरक।

एस. सी. सी. 83; नथानी स्टील्स लिमिटेड बनाम। एसोसिएटेड कंस्ट्रक्शंस (1995) 3 पूरक। एस. सी. सी. 324; दामोदर घाटी निगम बनाम। केके कर (1974) 1 एससीसी 141:

[1974] 2 एस. सी. आर. 240; भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड रानीपुर बनाम। अमरनाथ भान प्रकाश (1982) 1 एस. सी. सी. 625; भारत संघ और अन्न। वी. एल. के. आहूजा एंड कंपनी (1988) 3 एस. सी. सी. 76: [1988] 3 एस. सी. आर. 402; जायेश इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम। न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2000) 10 एस. सी. सी. 178; अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एन. टी. पी. सी. लिमिटेड बनाम। रेश्मी कंस्ट्रक्शंस बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (2004) 2 एस. सी. सी. 663 [2004] 1 एस. सी. आर. 62 का उल्लेख किया गया है। -

मामला कानून संदर्भ

(2017) 15 एससीसी 32

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

2018 (15) स्केल 421

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[2011] 5 एससीआर 853

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[2014] 12 एससीआर 360

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[2018] 2 एससीआर 598

संदर्भित किया गया है

पैरा 9 भारत बनाम पारमार निर्माण कंपनी

10 एस. सी. सी. 504

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

9 पूरक। एससीआर 125

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

संदर्भित किया गया है

12 एससीआर 216

पैरा 10

संदर्भित किया गया है

3 एससीआर 563

पैरा 10

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

13 एससीआर 638

संदर्भित किया गया है

8 एस. सी. सी. 151

पैरा 14

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

2 एस. सी. सी. 638 8 एससीआर 993

पैरा 14

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

6 एससीआर 1143

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

संदर्भित किया गया है

2 एससीसी 52

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

एससीआर 493

3 पूरक। एससीसी 126

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

3 पूरक। एससीसी 83

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

पैरा 29

3 पूरक। एस. सी. सी. 324

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

2 एससीआर 240

संदर्भित किया गया है

1 एस. सी. सी. 625

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

3 एससीआर 402

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

10 एससीसी 178

पैरा 29

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

1 एससीआर 62

अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.330

उच्च न्यायालय के 14.07.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश

, जयपुर बेंच S.B.Civil विविध अनुप्रयोग में 2015 का सं. 14

के साथ

पी. पी. एल. सं. 3304 , 3305 , 3306 , 3307 , 3308 , 3309 , 3310 , 3

319 , 3314 , 3315 , 3316 , 3317 और 2019 का 3318।

9] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कटियार, समीर जैन, अभिनव श्रीवास्तव, सुविग्या अवस्थी, करण वालेचा, राहुल गुप्ता, सुश्री सना कामरा, विश्व पाल सिंह, सुरजीत सिंह, रोनक, मनेन्द्र पाल गुप्ता, एस. के. भट्टाचार्य, एल. के. पाओनम,

श्रीमती तोमथिन्गन्बी कोइजाम, नीरज बॉबी पाओनम, नितिन कुमार ठाकुर, सुश्री गीतांजलि मोहन, ई. सी. विद्या सागर, सुभाष चंद्र सागर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था रास्टोगी, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. विशेष अनुमति द्वारा अपीलों के समूह में विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या (1) उच्च न्यायालय को इस मामले में न्यायोचित ठहराया गया था।

मध्यस्थता द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधित प्रावधान को लागू करना

और सुलह (संशोधन अधिनियम), 2015 23 अक्टूबर, 2015 से प्रभावी (इसके बाद "संशोधन अधिनियम, 2015" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है); (2) क्या मध्यस्थता समझौते की स्वीकृति पर निष्पादन किया जाता है (3) क्या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले) की धारा 11 (6) के तहत उच्च न्यायालय के लिए तीसरे पक्ष या एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की अनुमति थी, जब पक्षकार नामित मध्यस्थ की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकरण के साथ प्रक्रिया के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हो गए हों। उच्च न्यायालय ने अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत पारस्परिक रूप से सहमत प्रक्रिया का पालन किए बिना एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलग-अलग आदेश पारित किए हैं।

पक्षों के बीच निष्पादित समझौता। चूंकि अपीलों के समूह में पक्षकारों की सहमति से कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल होते हैं, इसलिए वर्तमान निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जाता है।

3. एसएलपी (सिविल) संख्या से उत्पन्न दीवानी अपील से तथ्यों पर ध्यान दिया गया है। 2166 2018 से।

4. डूंगरपुर में अधिकारी और विश्राम गृह के लिए कार्यालय आवास के निर्माण का काम प्रतिवादी ठेकेदार को आवंटित किया गया था।

21 दिसंबर, 2011 को राजस्थान राज्य में। जैसा कि आरोप लगाया गया है, अपीलार्थियों द्वारा 31 मार्च, 2013 तक काम पूरा करने के लिए विस्तार दिया गया था। माप को प्रतिवादी द्वारा विरोध के तहत स्वीकार कर लिया गया था और जब अपीलकर्ता अधिकारी 7 वें अंतिम बिल को पारित करने में विफल रहे

जब तक प्रत्यर्थी ने "विरोध के तहत" एक पंक्ति नहीं लगाई और भारत के संघ बनाम पर कोई दावा नहीं किया।

परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी [अजय रस्तोगी, जे.]

प्रमाण पत्र। निष्पादित कार्य का कुल मूल्य रु। 58.60 जिसके खिलाफ लाखों रु. 55.54 लाख का भुगतान किया गया और देरी से भुगतान पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ वृद्धि लागत नहीं जोड़ी गई। मांग का नोटिस था

23 दिसंबर, 2013 को विवादों/मतभेदों को हल करने के लिए जीसीसी के खंड 64 (3) का आह्वान करते हुए एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए अपीलकर्ताओं को भेजा गया।

जब अपीलार्थी खंड के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रहे

64 (3) , एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति के समक्ष अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत आवेदन दायर किया गया, जिन्होंने विवादित फैसले के तहत पक्षों को सुनने के बाद प्रतिवादी के आवेदन की अनुमति दी और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किया। कार्यवाहियों में मध्यस्थता करने के लिए एक स्वतंत्र मध्यस्थ के रूप में उच्च न्यायालय का।

5. अपीलों के तत्काल समूह में, एक तथ्य सामान्य है कि इसके लिए निर्माण कार्यों की विभिन्न प्रकृति के लिए आदेश दिए गए थे।

निष्पादन और पक्षों के बीच निष्पादित समझौते में विवादों के निपटारे के लिए एक अलग अध्याय शामिल है जो पार्टियों के बीच किसी भी विवाद या मतभेद को प्रक्रिया के माध्यम से हल करने के लिए छोड़ देता है

अनुबंध के खंड 64 (3) को लागू करते हुए एक मध्यस्थ की नियुक्ति करके मध्यस्थता। समझौते की शर्तों के अनुसार, परियोजना के पूरा होने की तारीख थी

अपीलार्थियों द्वारा दायित्वों के उल्लंघन के कारण कथित रूप से देरी हुई और पूरा करने की निर्धारित तिथि को बढ़ाना पड़ा। इस बीच, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण, उत्तरदाता ठेकेदारों द्वारा परियोजना को पूरा करना असंभव था और इसलिए या तो बढ़े हुए मूल्य का भुगतान करने के लिए पत्राचार किया गया था या अनुपस्थिति में, उत्तरदाता अनुबंध को समाप्त करने की स्थिति में नहीं होंगे। यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ताओं ने बढ़ी हुई कीमतों के लिए नियम और शर्तों को स्वीकार कर लिया और उत्तरदाताओं से काम पूरा करने और परियोजना को सौंपने के लिए कहा।

6. लेकिन जब प्रत्यर्थियों ने नए सहमत मूल्यों पर पूर्व निर्धारित प्रारूप (जिसमें कोई बकाया प्रमाण पत्र भी शामिल नहीं था) में अंतिम बिल उठाए, तो बढ़े हुए मूल्यों के भुगतान या प्रतिभूति जमा को रोकने के संदर्भ में विवाद पैदा हो गया है, समझौते में मध्यस्थता खंड के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थियों ने बकाया बकाया के भुगतान के विवाद को हल करने के लिए जीसीसी के खंड 64 (3) के अनुसार एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए एक नोटिस भेजा, जिसे अपीलकर्ताओं ने भेजकर अस्वीकार कर दिया था। जवाब दें कि "कोई देय प्रमाण पत्र नहीं" पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसमें कोई विवाद नहीं है जिसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए। चूंकि अपीलार्थी समझौते में मध्यस्थता खंड के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रहे, इसलिए [2019] 5 एस. सी. आर. में से प्रत्येक।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. मामले की सुनवाई के बाद, अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 12 (5) के तहत मध्यस्थ की स्वतंत्रता और तटस्थता को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग आदेशों द्वारा निर्णय लिया गया। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अधिनियम, 2015 के संशोधित प्रावधान लंबित कार्यवाही पर लागू होंगे और केवल दावा नहीं करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से पक्षकारों का अधिकार नहीं जाएगा और यह मध्यस्थ के समक्ष निर्णय के लिए खुला है और उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत शक्ति के प्रयोग में विवादित निर्णय के तहत स्वतंत्र एकमात्र मध्यस्थ। निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ताओं को संशोधन अधिनियम, 2015 (यानी 23 अक्टूबर, 2015) के लागू होने से बहुत पहले अपीलों के तत्काल समूह में विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था।

8. श्री के. एम. नटराजन, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

अपीलार्थियों की ओर से पेश होते हुए कहा गया है कि धारा 12, जिसमें उप-धारा (1) और (5) के साथ-साथ पांचवीं और सातवीं अनुसूची भी शामिल है, 23 अक्टूबर, 2015 से संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा लागू हो गई है और निर्विवाद रूप से, अपीलों का तत्काल समूह, मध्यस्थता को संदर्भित करने का अनुरोध अपीलार्थियों को संशोधन अधिनियम, 2015 से बहुत पहले प्राप्त हुआ था। संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 26 के साथ पठित धारा 21 को ध्यान में रखते हुए जहां विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध भेजा गया है और संशोधन अधिनियम, 2015 लागू होने से पहले दूसरे पक्ष द्वारा प्राप्त किया गया है, कार्यवाही पूर्व-संशोधित के अनुसार शुरू होगी।

अधिनियम, 1996 के प्रावधान और दी गई परिस्थितियों में, स्पष्ट

जी. सी. सी. के खंड 64 (3) का सहारा लिए बिना एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 12 (5) को लागू करके त्रुटि की गई है, जैसा कि पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है और प्रस्तुत करने के समर्थन में, विद्वान वकील ने मेसर्स के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा है। अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यूनियन ऑफ इंडिया बनाम

पारमार निर्माण कंपनी

[अजय रस्तोगी, जे।]

बनाम। एरा इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड 2017 (15) एस. सी. सी. 32 और एस. पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्रा. लि. बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य 2018 (15) पैमाना 421।

9. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक बार कोई दावा नहीं

प्रमाणपत्र पर प्रत्येक प्रत्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और अंतिम बिलों के निपटारे के बाद, कोई मध्यस्थ विवाद नहीं रहता है और अनुबंध समाप्त हो जाता है और उन्हें यह आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उन्होंने किसी भी प्रकार के वित्तीय दबाव/अनुचित प्रभाव के तहत कोई दावा प्रमाण पत्र नहीं दिया है और यहां तक कि इसके समर्थन में भी, कोई प्रथम दृष्टया सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। दी गई परिस्थितियों में, अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति टिकाऊ नहीं है और प्रस्तुत करने के समर्थन में, विद्वान वकील ने भारत संघ और अन्य बनाम मास्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी 2011 (12) एस. सी. सी. 349; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 2015 (2) एस. सी. सी. 424; ओ. एन. जी. सी. मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम ए. एन. एस. कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड और ए. एन. आर. में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा है। 2018 (3) एससीसी 373।

10. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि उत्तरदाताओं में से किसी ने भी मध्यस्थ के प्रति पक्षपात का कोई आरोप नहीं लगाया था, जिसके होने की संभावना थी

समझौते के संदर्भ में रेलवे द्वारा नियुक्त। उक्त मुद्दा तभी सामने आया होगा जब मध्यस्थ की नियुक्ति की गई होगी।

रेलवे द्वारा बनाया गया। पहली बार में यह आवश्यक था कि विवादों/मतभेदों को निपटाने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति में पक्षों द्वारा सहमत समझौते का सम्मान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए और केवल तभी जब पक्षपात या दुर्भावना के आरोप हों, या नियुक्त मध्यस्थ पुरस्कार प्रस्तुत करने में अपने दायित्व का निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रहा हो, तो न्यायालय को उन पहलुओं की जांच करने और एक निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता होती है कि क्या अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) का आह्वान करते हुए एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने की चूक में कोई आवश्यकता है और प्रस्तुत करने के समर्थन में, विद्वान वकील ने भारत संघ और अन्य बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। एम. पी. गुप्ता 2004 (10) एससीसी

504 , भारत संघ और एक अन्य बनाम। वी. एस. इंजीनियरिंग (पी) Ltd.2006 (13) एस. सी. सी. 240, उत्तर रेलवे प्रशासन, रेल मंत्रालय,

नई दिल्ली बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड 2008 (10) एस. सी. सी. 240, भारत संघ बनाम सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट 2009 (4) एस. सी. सी. 523।

11. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि जैसा कि जी. सी. सी. के खंड 64 (7) में संकेत दिया गया है, उसके सभी वैधानिक संशोधन [2019] 5 एस. सी. आर. के लिए बाध्यकारी होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता कार्यवाहियों और मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 की उद्घोषणा के बाद, संशोधन अधिनियम, 2015 के अधिदेश को पूरा करने के लिए खंड 64 (7) में संशोधन किया गया और यह स्पष्ट किया गया कि इसके सभी वैधानिक संशोधन मध्यस्थ की नियुक्ति और मध्यस्थता कार्यवाहियों पर लागू होंगे और समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्यर्थियों ने उपरोक्त खंड 64 (7) की प्रवर्तनीयता को स्वीकार कर लिया है और इसलिए, बाद में भी जीसीसी में किए गए किसी भी संशोधन से बाध्य हैं और एस. पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं। लिमिटेड का मामला (ऊपर)। 12. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री समीर जैन प्रस्तुत करते हैं कि उत्तरदाता रेलवे के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य अनुबंध करने वाले पंजीकृत ठेकेदार हैं।

स्थापना और सौदेबाजी की स्थिति में नहीं हैं और यह एक जमीनी वास्तविकता है कि अंतिम बिल उनके द्वारा अग्रिम रूप से प्रस्तुत किए गए नो क्लेम सर्टिफिकेट के बिना जारी नहीं किए जा रहे हैं। सभी मामलों में, प्रत्येक प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अंतिम बिलों से एकतरफा कटौती की गई है और वे बहुत छोटे और छोटे ठेकेदार हैं और भुगतान तब तक जारी नहीं किए जाते हैं जब तक कि कोई दावा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, यह अधिकारियों द्वारा वित्तीय दबाव और अनुचित प्रभाव के अलावा और कुछ नहीं है और मध्यस्थ के लिए भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए बिलों की जांच करके निर्णय लेने के लिए खुला है।

13. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि राष्ट्रीय बीमा में इस न्यायालय द्वारा नो क्लेम सर्टिफिकेट के प्रभाव की जांच की गई है।

कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड 2009 (1) एस. सी. सी. 267 और इस न्यायालय के कई निर्णय हैं जिनमें समझौते की शर्तों के तहत उत्पन्न होने वाले विवाद की स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति में किए गए अनुरोध के खिलाफ किसी भी दावा प्रमाण पत्र को कभी भी आधार नहीं माना गया है।

14. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक बार अपीलार्थी समझौते की शर्तों के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहे हैं

अदालत के समक्ष दायर की जा रही धारा 11 (6) के तहत आवेदन, प्राधिकरण एक मध्यस्थ नियुक्त करने के अपने अधिकार को खो देता है और यह मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति पर है कि वह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करे जैसा कि इस अदालत ने दातार स्विचगियर्स लिमिटेड में अभिनिर्धारित किया था। इसके बाद पुंज लॉयड लिमिटेड में टाटा फाइनेंस लिमिटेड और एक अन्य 2000 (8) एस. सी. सी. 151 का स्थान रहा। बनाम पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड 2006 (2) एससीसी 638 और बाद में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भारत बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (पी) लिमिटेड 2007 (7) एससीसी यूनियन ऑफ इंडिया बनाम।

परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी [अजय रस्तोगी, जे.]

अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन, विरोधी पक्ष अनुबंध की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ (ओं) की नियुक्ति का अपना अधिकार खो देगा। 15. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि धारा 11 (6) के साथ व्यवहार करते समय, मुख्य न्यायाधीश/उनका नामित व्यक्ति समझौते के तहत मध्यस्थ की योग्यता को भी नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन मध्यस्थता समझौते में

तत्काल मामले में जी. सी. सी. के खंड 64 (3) के तहत मध्यस्थ की कोई विशिष्ट योग्यता नहीं है और चूंकि अपीलकर्ता आवेदन दायर किए जाने तक मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहे, इसलिए धारा 11 (6) न्यायालय को एक मध्यस्थ नियुक्त करके यदि आवश्यक हो तो सहमत शर्तों से विचलन करने का अधिकार देती है। स्वतंत्र मध्यस्थ और संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 12 (5) के संचालन के कारण, रेलवे प्रतिष्ठान का कर्मचारी मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य हो गया। दी गई परिस्थितियों में, अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति के पास निहित है और यह इस न्यायालय द्वारा उत्तर पूर्वी रेलवे और अन्य बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है।

ट्रिप्ल इंजीनियरिंग वर्क्स 2014 (9) एस. सी. सी. 288 और भारत संघ और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम लिमिटेड 2015 (2) एस. सी. सी. 52।

16. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि द्वारा प्राथमिक उद्देश्य

मध्यस्थता को मापने के लिए उपाय शुरू करना मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा एक निष्पक्ष, त्वरित और सस्ती सुनवाई है। अनावश्यक विलंब या व्यय मध्यस्थता के उद्देश्य को विफल कर देगा और यह अभिनिर्धारित करता है कि मध्यस्थ को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए और मध्यस्थ की तटस्थता अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह संसद द्वारा अधिनियम, 1996 की धारा 12 (5) में संशोधन में देखा गया है जो 23 अक्टूबर, 2015 को लागू हुआ था और जब संशोधन लागू होने के बाद मामलों को उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए लिया गया है, तो संशोधित प्रावधानों के प्रभाव पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा और दी गई परिस्थितियों में, यदि एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया है जो निर्विवाद रूप से मध्यस्थता की कार्यवाही के उद्देश्य के जनादेश को पूरा करने वाला एक निष्पक्ष और तटस्थ व्यक्ति है, तो संशोधित प्रावधान को उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता की कार्यवाही के उद्देश्य की नियुक्ति में उचित रूप से लागू किया गया है।

17. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सहायता से रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. अपीलों के समूह से जो तथ्य प्रकट होते हैं, वे यह हैं कि उत्तरदाता रेलवे के साथ पंजीकृत ठेकेदार हैं

विभिन्न प्रकार के कार्य अनुबंध (निर्माण) की स्थापना और उपक्रम। उन्होंने वृद्धि लागत और उस पर उपार्जित ब्याज की मांग की क्योंकि परियोजना के पूरा होने की तारीख में देरी हुई थी जैसा कि अपीलार्थियों द्वारा दायित्वों के उल्लंघन के कारण आरोप लगाया गया था और पूरा करने की निर्धारित तिथि को बढ़ाया जाना था। मध्यावधि में कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई और परियोजना को प्रतिवादी ठेकेदारों द्वारा पूरा करना असंभव हो गया। इसलिए, अपीलकर्ताओं से अनुरोध किया गया था कि या तो बढ़े हुए वृद्धि मूल्य का भुगतान करें अन्यथा प्रतिवादी ठेकेदार अनुबंध को समाप्त करने की स्थिति में नहीं होंगे और वृद्धि लागत के भुगतान की स्वीकृति पर, प्रतिवादी ठेकेदार ने काम पूरा किया और परियोजना को वितरित किया और निर्धारित पूर्व निर्धारित प्रारूप में अंतिम बिल उठाए (जिसमें कोई बकाया प्रमाण पत्र भी शामिल नहीं था)। चूंकि विवाद प्रत्यर्थी ठेकेदारों द्वारा की गई मांग के अनुसार बढ़ी हुई लागत के भुगतान के संदर्भ में उत्पन्न हुआ है, और वे समझौते में मध्यस्थता का एक खंड होने के कारण, प्रत्येक प्रत्यर्थी ठेकेदार ने जीसीसी के खंड 64 (3) को लागू करते हुए मध्यस्थता के लिए एक नोटिस भेजा, जिसे अधिकांश मामलों में अपीलकर्ताओं ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि कोई बकाया प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और इसमें कोई विवाद नहीं है और यही कारण था कि प्रत्येक प्रत्यर्थी ठेकेदार ने एक याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत आवेदन। यह भी विवाद में नहीं है कि विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध अपीलार्थियों को 23 अक्टूबर, 2015 से लागू हुए संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रवर्तन से बहुत पहले प्राप्त हुआ था।

19. मामले को आगे बढ़ाने के लिए, समझौते के प्रासंगिक खंडों पर ध्यान देना उचित होगा, जिनके साथ हम वर्तमान में हैं।

चिंतित हैंः -

" दावा 43. (1) दावों का मासिक विवरणः ठेकेदार हर महीने एक बार इंजीनियर को एक खाता तैयार करेगा और उसमें किसी भी अतिरिक्त खर्च के लिए सभी दावों का पूरा और विस्तृत विवरण देगा, जिसके लिए ठेकेदार खुद को हकदार समझ सकता है और इंजीनियर द्वारा आदेशित सभी अतिरिक्त या अतिरिक्त कार्यों के लिए जिसे उसने पिछले महीने के दौरान निष्पादित किया है और भुगतान के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा और ऐसे काम पर विचार नहीं किया जाएगा जो ऐसे विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

ऑन ऑफ इंडिया वी. परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी [अजय रस्तोगी, जे.]

43. (2) "कोई दावा नहीं" प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करनाः ठेकेदार रेलवे के खिलाफ कोई भी दावा करने का हकदार नहीं होगा।

इस अनुबंध के तहत या उसके आधार पर या उससे उत्पन्न होने पर, न ही रेलवे ठेकेदार द्वारा किए गए ऐसे किसी दावे को स्वीकार करेगा या उस पर विचार करेगा, जब वह रेलवे के पक्ष में "कोई दावा नहीं" प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा। ठेकेदार को "कोई दावा नहीं" प्रमाण पत्र के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की शुद्धता पर विवाद करने या उसके संबंध में मध्यस्थता के लिए मंजूरी की मांग करने से वंचित किया जाएगा।

64. (1) मध्यस्थता की मांगः

64. (1) (i) इस अनुबंध के निर्माण या संचालन के बारे में पार्टियों के बीच किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, या किसी भी मामले में संबंधित पक्षों के संबंधित अधिकारों और देनदारियों की स्थिति में, किसी भी कारण से विवाद या अंतर या रेलवे द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र को रोकने के बारे में जिसके लिए ठेकेदार हकदार होने का दावा कर सकता है, या यदि रेलवे 120 दिनों के भीतर निर्णय लेने में विफल रहता है, तो और ऐसे किसी भी मामले में, लेकिन इनमें से खंड 63 में निर्दिष्ट किसी भी "अपवादात्मक मामले" को छोड़कर। शर्तों के अनुसार, ठेकेदार 120 दिनों के बाद, लेकिन विवादित मामलों पर अपना अंतिम दावा प्रस्तुत करने के 180 दिनों के भीतर लिखित रूप में मांग करेगा कि विवाद या मतभेद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए।

64. (1) ((ii) मध्यस्थता की मांग में उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा जो विचाराधीन हैं, या विवाद या अंतर का विषय हैं और साथ ही दावे की राशि भी निर्दिष्ट की जाएगी। केवल ऐसे विवाद या

जिन अंतरों के संबंध में मांग की गई है, रेलवे द्वारा दिए गए जवाबी दावों या छूट के साथ, मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और अन्य मामलों को संदर्भ में शामिल नहीं किया जाएगा।

64. (1) ((क) यह माना जाएगा कि जिस दिन से मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू हुई है, उसी दिन से रेलवे द्वारा मध्यस्थता के लिए एक लिखित और वैध मांग प्राप्त की जाती है। (ख) दावेदार मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और प्रत्येक दावे के खिलाफ मांगी गई राहत या उपाय के साथ दावों का समर्थन करने वाले तथ्यों को बताते हुए अपना दावा प्रस्तुत करेगा। (ग) रेलवे अपना बचाव [2019] 5 एस. सी. आर. प्रस्तुत करेगा।

इसके बाद न्यायाधिकरण से दावों की प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों की अवधि के भीतर बयान और जवाबी दावे, यदि कोई हों, जब तक कि

अन्यथा न्यायाधिकरण द्वारा विस्तार दिया गया है। (घ) मध्यस्थता का स्थानः मध्यस्थता का स्थान इसके भीतर होगा रेलवे डिवीजन की भौगोलिक सीमाएँ जहाँ कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ या संबंधित रेलवे का मुख्यालय या दोनों पक्षों की लिखित सहमति से कोई अन्य स्थान।

64. (1) ((iv) कार्यवाही के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा कोई नया दावा नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि, एक पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान मूल दावे या बचाव में संशोधन या पूरक कर सकता है, बशर्ते कि इसे बनाने में देरी को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकृति दी जाए।

64. (1) (v) यदि ठेकेदार प्राप्त होने के 90 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपने विशिष्ट और अंतिम दावों को पसंद नहीं करता है।

भुगतान करने पर यह माना जाएगा कि उसने अपने दावों को माफ कर दिया है और रेलवे को सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा। इन दावों के संबंध में अनुबंध के तहत।

64. (2) मध्यस्थता के लंबित रहने के दौरान दायित्वः अनुबंध के तहत काम, जब तक इंजीनियर द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं किया जाता है, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान जारी रहेगा, और रेलवे द्वारा देय या देय कोई भी भुगतान ऐसी कार्यवाही के कारण नहीं रोका जाएगा, बशर्ते कि यह मध्यस्थता के लिए खुला हो।

न्यायाधिकरण विचार करेगा और यह तय करेगा कि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान ऐसा काम जारी रहना चाहिए या नहीं।

64. (3) मध्यस्थ की नियुक्तिः 64. (3) (क) (i) ऐसे मामलों में जहां विचाराधीन सभी दावों का कुल मूल्य एक साथ जोड़ा गया है, रुपये से अधिक नहीं है। 25,00,000 (बीस रुपया

केवल पांच लाख), मध्यस्थ न्यायाधिकरण में एक एकल मध्यस्थ होगा जो महाप्रबंधक द्वारा नामित रेलवे का राजपत्रित अधिकारी होगा जो जे. ए. ग्रेड से कम नहीं होगा। जी. एम. द्वारा मध्यस्थता के लिए लिखित और वैध मांग प्राप्त होने के दिन से 60 दिनों के भीतर एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी। { प्राधिकारः रेलवे बोर्ड का पत्र सं। 2012 / सीई-आई/सीटी/एआरबी। / 24 , दिनांकित 22.10।

/ 05.11.2013 } भारत का आयन बनाम। परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी [अजय रस्तोगी, जे.]

64. (3) (क) (ii) खंड 64 (3) (क) (i) द्वारा कवर नहीं किए गए मामलों में,

मध्यस्थ न्यायाधिकरण में तीन राजपत्रित रेलवे का एक पैनल होगा जे. ए. ग्रेड से कम के अधिकारी या 2 रेलवे राजपत्रित अधिकारी नहीं

जे. ए. ग्रेड से नीचे और एक सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी, सेवानिवृत्त नहीं एस. ए. जी. अधिकारी का पद, मध्यस्थ के रूप में। इस उद्देश्य के लिए,

रेलवे राजपत्रित व्यक्तियों के 3 से अधिक नामों का एक पैनल भेजेगा

रेलवे के एक या अधिक विभागों के रेलवे अधिकारी

जिसमें सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों के नाम भी शामिल हो सकते हैं।

ठेकेदार के लिए रेलवे मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए सूचीबद्ध 60 उस दिन से जब एक लिखित और वैध मांग

मध्यस्थता जी. एम. द्वारा प्राप्त की जाती है। ठेकेदार से पूछा जाएगा कि

रेलवे द्वारा अनुरोध का प्रेषण। महाप्रबंधक करेंगे उनमें से कम से कम एक को ठेकेदार के मनोनीत के रूप में नियुक्त करें और

साथ ही साथ मध्यस्थों की शेष संख्या भी नियुक्त करेंगे।

या तो पैनल से या पैनल के बाहर से, विधिवत संकेत देते हुए

' इस प्रकार नियुक्त 3 मध्यस्थों में से पीठासीन मध्यस्थ।

जी. एम. मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति की इस कवायद को पूरा करेगा।

ठेकेदार के नाम की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर

नामांकित व्यक्ति। मध्यस्थों को नामित करते समय, यह आवश्यक होगा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनमें से एक लेखा विभाग से है। अ.

लेखा विभाग के चयन श्रेणी के अधिकारी होंगे -

अन्य के एसए ग्रेड में अधिकारियों के लिए समान स्थिति माना जाता है

नियुक्ति के उद्देश्य से रेलवे के विभाग मध्यस्थ।

64. (7) उपरोक्त मध्यस्थता के प्रावधानों के अधीन और सुलह अधिनियम, 1996 और उसके तहत नियम और कोई भी वैधानिक

एकर संशोधन मध्यस्थताक कार्यवाही पर लागू होयत।

इस खंड के तहत।

20. खंड 43 (2) के अनुसार, ठेकेदार "कोई दावा नहीं" पर हस्ताक्षर करता है।

निर्धारित प्रारूप में रेलवे के पक्ष में आई. सी. ए. टी.

अंत में मापा जाता है और ठेकेदार को प्रतिबंधित कर दिया जाता है

"कोई दावा नहीं" के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की शुद्धता का पता लगाना।

उसके संबंध में मध्यस्थता के लिए मंजूरी की मांग करना या मांग करना।

प्रत्यर्थी को अंतिम बिल [2019] 5 एस. सी. आर. के साथ कोई दावा प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना होगा।

रेलवे अधिकारियों द्वारा अंतिम बिलों की जांच और माप करने से पहले निर्धारित प्रारूप में अग्रिम रूप से प्रस्तुत किया जाना है। हालाँकि अपीलकर्ताओं द्वारा इसे गंभीरता से विवादित किया गया है, लेकिन यही कारण है कि अंतिम बिलों को उठाए जाने के साथ कोई दावा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के बाद भी, प्रतिवादी (ठेकेदार) द्वारा पक्षकारों द्वारा सहमत अनुबंध की शर्तों के खंड 64 (3) को लागू करते हुए मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक आवेदन दायर करके इस पर सवाल उठाया गया। 21. खंड 64 (1) के तहत, यदि निर्माण या संचालन के संबंध में पक्षों के बीच अब तक कोई विवाद या मतभेद है

अनुबंध, या किसी भी मामले में संबंधित पक्षों के संबंधित अधिकार और देनदारियाँ या अनुबंध की शर्तों से उत्पन्न होने वाले किसी अन्य सहायक विवाद या यदि रेलवे प्रतिष्ठान निर्णय लेने में विफल रहता है

निर्धारित अवधि के भीतर और विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा नहीं किया जा सका, ऐसे विवाद या अंतर को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना है और जो पक्षों के बीच ऐसे विवादों/मतभेदों का मध्यस्थता करेगा, महाप्रबंधक अधिकारी को क्रमशः खंड 64 (3) (ए) (आई) और (बी) के तहत निर्दिष्ट पदनाम द्वारा नामित कर सकता है, जिसमें एकमात्र मध्यस्थ या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए निर्णय लेने के लिए आगे की प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है। पक्षों के बीच अनुबंध की शर्तों के तहत उत्पन्न होने वाले विवाद/मतभेद।

22. यह भी विवादित नहीं है कि जब प्रत्यर्थी ठेकेदारों के अनुरोध को अपीलकर्ताओं द्वारा खारिज कर दिया गया था

दावा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, मध्यस्थता विवाद नहीं रहता है जिसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाना है, प्रत्येक प्रत्यर्थी ठेकेदार ने अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

23. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रत्यर्थी ठेकेदार द्वारा अंतिम बिलों के साथ बढ़ाई गई वृद्धि की लागत के साथ जोड़ा गया था

पूर्व निर्धारित प्रारूप में दावा न करने का प्रमाण पत्र और अनुबंध की शर्तों से उत्पन्न होने वाले विवादों/मतभेदों को निपटाने के लिए मध्यस्थ को निर्देश देने के लिए प्रतिवादी ठेकेदार के प्रत्येक दावे को, जैसा कि पक्षों के बीच सहमति हुई थी, अपीलकर्ताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि कोई दावा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

24. 1 जनवरी, 2016 को, संशोधन अधिनियम, 2015 को राजपत्रित किया गया था और संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 1 (2) के अनुसार, इसे भारत संघ v.

परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी [अजय रस्तोगी, जे.]

23 अक्टूबर 2015 को लागू हुए। अधिनियम, 1996 की धारा 21 में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, तब तक किसी विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन प्रत्यर्थी द्वारा उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त किया जाता है और संशोधन की धारा 26 को स्पष्ट रूप से पढ़ा जाता है।

अधिनियम, 2015 स्व-स्पष्ट है, व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक अधिनियम, 1996/संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 21 और 26 हैः

यहाँ नीचे निकाला गया हैः -

" 21. मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत। जब तक कि अन्यथा पक्षों द्वारा सहमत, संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही

किसी विशेष विवाद की शुरुआत उस तारीख से होती है जिस दिन प्रतिवादी द्वारा उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त किया जाता है।

26. लंबित मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होने वाला अधिनियम इस अधिनियम में निहित कुछ भी इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होगा, जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों, लेकिन यह अधिनियम निम्नलिखित के संबंध में लागू होगाः

मध्यस्थता कार्यवाही की तारीख को या उसके बाद शुरू हुई

इस अधिनियम का प्रारंभ "।

25. धारा 26 के साथ पठित धारा 21 का संयुक्त पठन इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रावधान

प्रधान अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के संदर्भ में शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही पर तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हों। धारा 26 के साथ पठित धारा 21 का प्रभाव इस न्यायालय द्वारा अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम में संशोधन अधिनियम, 2015 की जांच की गई है। एरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (उपरोक्त) और संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 26 पर ध्यान देते हुए व्यापक सिद्धांतों को निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः

" 22. निर्दिष्ट निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सिद्धांत

ऊपर दिए गए हैंः

22.1 . 1996 के अधिनियम द्वारा शासित मामलों में, जैसा कि संशोधन अधिनियम लागू होने से पहले थाः 22.1. 1 .
यह तथ्य कि नामित मध्यस्थ पक्षकारों में से किसी एक का कर्मचारी है, वास्तव में उसकी ओर से पूर्वाग्रह या पक्षपात या स्वतंत्रता की कमी की धारणा को उठाने का आधार नहीं है।

एस. सी. आर. हो सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22.1. 2 . जब तक कि अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए कार्रवाई का कारण 1996 के अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (6) के खंड (ए), (बी) या (सी) उत्पन्न होते हैं, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति का कोई सवाल नहीं है।

धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करना। 22.1. 3 . शक्ति का प्रयोग करते समय मुख्य न्यायाधीश या उनका पदनाम

धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत मध्यस्थता खंड में निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा। 22.1. 4 . धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय, यदि परिस्थितियां मौजूद हैं, जो नामित व्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा करती हैं, या यदि अन्य परिस्थितियां निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी करके एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की गारंटी देती हैं, तो मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित, दर्ज किए जाने वाले कारणों की अनदेखी कर सकता है।

नामित मध्यस्थ और किसी और को नियुक्त करें।

22.2 . संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद 1996 अधिनियम द्वारा शासित मामलों मेंः यदि मध्यस्थता खंड को संशोधित प्रावधानों में गड़बड़ी मिलती है, तो मध्यस्थ की नियुक्ति भले ही स्पष्ट रूप से मध्यस्थता खंड के अनुरूप हो।

समझौता, अवैध होगा और इस प्रकार अदालत अपने दायरे में होगी

ऐसे मध्यस्थों को नियुक्त करने की शक्तियाँ जो अनुज्ञेय हों।

जिस पर आगे एस. पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड में विचार किया गया है। लिमिटेड मामला (ऊपर)।

" 16. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम इस विवाद के गुणागुण में जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं

अपीलार्थी न तो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रत्न अवसंरचना परियोजना मामले में लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण की शुद्धता या अन्यथा की जांच करता है; यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि मध्यस्थता की धारा 26 के अनुसार और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 संशोधित अधिनियम, 2015 के प्रावधान भारत संघ की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे।

संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले प्रधान अधिनियम जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड (65) में परंतुक को पक्षों के बीच समझौता नहीं माना जा सकता है ताकि संशोधित अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जा सके। अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रावधान मध्यस्थता के संबंध में लागू होंगे।

संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख को या उसके बाद कार्यवाही शुरू हुई। 23.10.2015) . वर्तमान में मामले में मध्यस्थता की कार्यवाही 2013 में संशोधित अधिनियम के लागू होने से बहुत पहले शुरू हुई थी और इसलिए,

संशोधित अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है।

27. तत्काल मामले में, अपीलकर्ताओं द्वारा संशोधन अधिनियम से बहुत पहले संबंधित अपील में अनुरोध किया गया था और प्राप्त किया गया था, 2015 लागू हुआ। क्या आवेदन लंबित था

मध्यस्थ की नियुक्ति या अस्वीकृति के मामले में, क्योंकि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए तत्काल मामले में कोई दावा नहीं है, जिसमें मध्यस्थ का परिवर्तन/प्रतिस्थापन शामिल है, मूल अधिनियम, 1996 की धारा 21 के संदर्भ में संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। हमारे सुविचारित विचार में, प्रत्यर्थी ठेकेदारों द्वारा किए गए आवेदनों/अनुरोधों की 23 अक्टूबर, 2015 से लागू हुए संशोधन अधिनियम, 2015 का सहारा लिए बिना मूल अधिनियम, 1996 के अनुसार जांच की जानी चाहिए।

28. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील का जोर कि प्रत्येक प्रत्यर्थी/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत नो क्लेम सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने से मध्यस्थ द्वारा जांच किए जाने वाले समझौते के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले विवाद/मतभेद के निपटारे का अधिकार छीन लिया जाता है। अनुबंध की शर्तों का खंड 64 (3)। प्रस्तुत किया गया विवाद

हमारे समक्ष यह है कि चाहे नो क्लेम सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने और ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अंतिम बिलों के भुगतान की प्राप्ति के बाद, फिर भी पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता विवाद बना रहता है या अनुबंध समाप्त हो जाता है।

9] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

29. इससे पहले कि हम वर्तमान मामलों के तथ्यात्मक पहलू पर ध्यान दें, निर्णयों की पूर्णता पर सावधानीपूर्वक विचार करना उचित होगा -

इस न्यायालय को पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित किया गया है और (प्रथम श्रेणी) भारत संघ बनाम किशोरीलाल गुप्ता और ब्रदर्स को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। एयर 1959 एससी 1362; पी. के. रमैया एंड कंपनी। बनाम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। 1994 पूरक (3) एस. सी. सी. 126; महाराष्ट्र राज्य बनाम नव भारत बिल्डर 1994 पूरक (3) एस. सी. सी. 83; नथानी स्टील्स लिमिटेड बनाम संबद्ध निर्माण 1995

पूरक (3) एस. सी. सी. 324. (दूसरी श्रेणी) दामोदर घाटी निगम बनाम के. के. कर 1974 (1) एस. सी. सी. 141; भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम रानीपुर. अमरनाथ भान प्रकाश 1982 (1) एस. सी. सी. 625; भारत संघ और ए. एन. आर. बनाम एल. के. आहूजा एंड कंपनी 1988 (3) एस. सी. सी. 76; जायेश इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2000 (10) एस. सी. सी. 178; अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एन. टी. पी. सी. लिमिटेड। बनाम रेश्मी कंस्ट्रक्शंस

बिल्डर और ठेकेदार 2004 (2) एस. सी. सी. 663।

30. उपरोक्त मामले दो श्रेणियों में आते हैं, एक श्रेणी

जहां न्यायालय ने तथ्यों पर विचार करने के बाद पाया कि पूर्ण और अंतिम समझौता हुआ था जिसके परिणामस्वरूप सहमति और संतुष्टि हुई थी और

जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव के आरोपों में कोई सार नहीं है। दूसरी श्रेणी के मामलों में, अदालत ने दावेदारों के तर्क में कुछ सार पाया कि "नहीं-बकाया/कोई दावा प्रमाण पत्र या निर्वहन वाउचर" पर जोर दिया गया था और स्वीकार किए गए बकाया को जारी करने के लिए एक शर्त के रूप में (या तो मुद्रित प्रारूप पर या अन्यथा) लिया गया था और परिणामस्वरूप इस अदालत ने माना कि विवाद मध्यस्थ हैं। इसने राष्ट्रीय बीमा कंपनी में पहले की गई जांच और सारांशित सिद्धांतों पर ध्यान दिया

सीमित बनाम बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड मामला (ऊपर) निम्नानुसार हैः -

" 44. अपीलार्थी द्वारा जिन तीन मामलों पर भरोसा किया गया, उनमें से किसी ने भी यह प्रस्ताव नहीं रखा कि केवल एक पूर्ण और अंतिम समझौते का निष्पादन किया जाए।

रसीद या डिस्चार्ज वाउचर मध्यस्थता के लिए एक बाधा है, तब भी जब दावेदार द्वारा धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के आधार पर इसकी वैधता को चुनौती दी जाती है। न ही वे यह प्रस्ताव रखते हैं कि भले ही अनुबंध का निर्वहन वास्तविक या कानूनी न हो, लेकिन दावों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है। तीनों मामलों में, न्यायालय ने तथ्यों की जांच की और खुद को संतुष्ट किया कि

अनुबंध की सहमति और संतुष्टि या पूर्ण निर्वहन था और कि जबरदस्ती के आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था /

अनुचित प्रभाव "। भारत संघ v.

31. इसके अलावा, अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) के तहत कार्यवाही में मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति की अधिकारिता को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 51 में कानूनी प्रस्ताव को निम्नानुसार समाप्त कर दियाः

" 51. अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति इस बात पर विचार करेंगे कि क्या वास्तव में सहमति और संतुष्टि या निष्पादन द्वारा अनुबंध का निर्वहन किया गया था। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो वह विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार कर देगा। दूसरी ओर, यदि मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूर्ण और अंतिम निपटान रसीद या निर्वहन वाउचर किसी धोखाधड़ी/जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव का परिणाम था, तो उन्हें यह मानना होगा कि कोई निर्वहन नहीं किया गया था।

अनुबंध करें और परिणामस्वरूप, विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करें।

वैकल्पिक रूप से, जहां मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि निर्वहन वाउचर स्वेच्छा से जारी नहीं किया गया था और दावेदार किसी मजबूरी या जबरदस्ती के तहत था, और यह कि मामला विस्तृत विचार के योग्य था, वह स्वयं इस मुद्दे पर निर्णय लेने के बजाय, मामले को एक विशिष्ट निर्देश के साथ मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेज सकता है कि उक्त प्रश्न का निर्णय पहली बार में किया जाना चाहिए।

32. इसने आगे उदाहरण दिए कि कब दावे मनमाने हैं और कब नहीं। यह उदाहरणात्मक (संपूर्ण नहीं) हो सकता है लेकिन अधिकारियों के लिए यह निर्णय लेने में फायदेमंद हो सकता है कि क्या किसी दी गई स्थिति में जहां कोई दावा/निर्वहन वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसका कानूनी प्रभाव क्या होगा और फिर भी कोई मध्यस्थ विवाद है जिसकी मध्यस्थ द्वारा दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में जांच की जानी है और राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम के पैरा 52 में अभिनिर्धारित किया गया है।

बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) इस प्रकार हैः

" 52. इस विषय पर चर्चा को पूरा करने के लिए कुछ उदाहरण (संपूर्ण नहीं) हैं कि दावे कब मनमाने होते हैं और जब वे नहीं होते हैं, जब सहमति और संतुष्टि से अनुबंध का निर्वहन विवादित होता है, तो वे हैंः

(i) एक दावे को सुलह या पूर्व-मुकदमेबाजी लोक अदालत में भेजा जाता है। पक्ष बातचीत करते हैं और एक समझौते पर पहुंचते हैं। की शर्तें समझौता दोनों पक्षों द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किया जाता है और सुलहकर्ता या लोक अदालत के सदस्यों द्वारा परीक्षण किया जाता है। सहमति और संतुष्टि के माध्यम से समझौते के बाद, कोई नहीं हो सकता है

मध्यस्थता का संदर्भ।

((ii) एक दावेदार कई दावे करता है। स्वीकृत या निर्विवाद दावों का भुगतान किया जाता है। इसके बाद विवादित दावों के निपटारे के लिए बातचीत की जाती है जिसके परिणामस्वरूप एक लिखित समझौता होता है।

सभी लंबित दावे और विवाद। इस तरह के निपटान पर, सहमत राशि का भुगतान किया जाता है और ठेकेदार एक निर्वहन वाउचर/नहीं-दावा प्रमाण पत्र/पूर्ण और अंतिम रसीद भी जारी करता है। इस तरह के समझौते और संतुष्टि द्वारा अनुबंध के निर्वहन के बाद, न तो अनुबंध और न ही कोई विवाद विचार के लिए जीवित रहता है। इसके बाद मध्यस्थता के लिए किसी भी विवाद का कोई संदर्भ नहीं हो सकता है।

((iii) ठेकेदार कार्य निष्पादित करता है और भुगतान का दावा करता है।

अनुबंध के संदर्भ में देय दस लाख रुपये। नियोक्ता केवल छह लाख रुपये के दावे को स्वीकार करता है और ठेकेदार को लिखित या मौखिक रूप से सूचित करता है कि जब तक ठेकेदार निर्धारित प्रारूप में डिस्चार्ज वाउचर नहीं देता है।

पूर्ण और अंतिम रूप से छह लाख रुपये की रसीद स्वीकार करना

स्वैच्छिक लेकिन दबाव, मजबूरी और जबरदस्ती के तहत। द. जबरदस्ती सूक्ष्म है, लेकिन बहुत वास्तविक है। "समझौता" स्वतंत्र सहमति से नहीं होता है। इस प्रकार विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए मध्यस्थता समझौते को लागू किया जा सकता है।

(v) एक दावेदार एक बड़ी राशि के लिए दावा करता है, जिसके माध्यम से नुकसान होता है। प्रत्यर्थी दावे पर विवाद करता है। दावेदार जो

स्वेच्छा से समझौता करने और मुकदमेबाजी से बचने के लिए उत्सुक है दावा और निपटान के अनुरोध को कम करता है। उत्तरदाता

सहमत होता है और दावे का निपटारा करता है और एक पूर्ण और अंतिम निर्वहन प्राप्त करता है

वाउचर। यहाँ भले ही दावेदार सहमत हो गया हो

वित्तीय मजबूरियों और वाणिज्यिक दबाव के कारण निपटान

या आर्थिक दबाव, निर्णय उनकी स्वतंत्र पसंद थी। वहाँ था।

प्रत्यर्थी द्वारा कोई धमकी, जबरदस्ती या मजबूरी नहीं। इसलिए,

समझौता और संतुष्टि बाध्यकारी और वैध है और वहाँ नहीं हो सकता है

कोई बाद का दावा या मध्यस्थता का संदर्भ हो।

33. यह सच है कि निरपेक्ष प्रकार का कोई नियम नहीं हो सकता और प्रत्येक

मामले को उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर देखा जाना चाहिए। साथ ही, हम जमीनी वास्तविकताओं से बेखबर नहीं रह सकते हैं कि जहां एक छोटे/छोटे ठेकेदार ने अपने उपलब्ध संसाधनों से कार्य अनुबंध के निष्पादन में निवेश किया है और इसके लिए बिल जुटाए गए हैं।

बिना किसी औचित्य के उसके और रेलवे प्रतिष्ठानों/अपीलकर्ताओं द्वारा की गई वृद्धि लागत दावे को एकतरफा रूप से कम कर देती है और उत्तरदाताओं द्वारा अंतिम बिलों को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दावा नहीं प्रमाण पत्र का बचाव करती है।

34. प्रत्यर्थी के अनुबंध के तहत काम की प्रकृति

ठेकेदारों और ठेकेदारों का दावा जो मध्यस्थ द्वारा न्यायनिर्णित किया जाने वाला विवाद है, निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाता हैः

ठेकेदार का नाम ठेकेदार के दावे के तहत काम की प्रकृति

एस. नो एस. एल. पी. नं.

अनुबंध

1 . 63 12/2018 परमार निर्माण निर्माण,

रुपये

1,07,98,765/- (अंतिम बिल) +

सुदृढ़ीकरण

कंपनी

और ब्याज और

मध्यस्थता लागत।

मेजर का पुनर्निर्माण

पुल

बीच में

नादभाई-ईदगाह (आगरा)

अनुबंध की कुल लागत रु।

3,30,71,724 /

कार्यालय का निर्माण

2. 96 लाख

रुपये (घाटे की राशि)

2166/2018

एस. के. निर्माण

2 .

2. 65 लाख रुपये

(वृद्धि) के लिए

ठहराव

अधिकारी और विश्राम गृह

लागत) +

2.39 लाख रुपये

(वाणिज्यिक

ब्याज 18 प्रतिशत की दर से

डूंगरपुर।

अनुबंध की कुल लागत रु।

पी. ए.)

43,76,112 / - .

किए गए कार्य का कुल मूल्य 8 लाख रुपये है।

यह रुपये 58.50 La cs था।

रुपये 55.54 लाख का भुगतान किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3 . 7937/2018 अनिल ट्रेडिंग

रु.
2,15,000 / - (नहीं।

का संवर्धन

डीजल शेड की क्षमता,

ड्राइंग की
उपलब्धता) + रु

कंपनी

भगत की कोठी, जोधपुर। | 1,50,000 / - (
क्लीयर साइट पर अनुपलब्धता) + रुपये 1,14,099
अनुबंध मूल्य रु।

(अंतिम बिल में
देरी पर ब्याज

2,42,85, 808.84 /

भुगतान) +
रुपये 12,15,000 /

(बैंक गारंटी)
+ रु

12,14,290
/ - (प्रतिभूति जमा

ब्याज के साथ)
+ रुपये 1,00,000 /

(मध्यस्थता
लागत)

कुल रु.
30,08,389 /

4. 6034/2018 राजेंद्र प्रसाद

डेढ़ लाख रुपये

(साथ में काटे गए)

निर्माण जोड़

बंसल

और परिवर्तन और बढ़ाना

18 प्रतिशत

ब्याज के साथ पी. ए) + आर

मौजूदा प्लेटफॉर्म का

7.9 लाख

(खर्च किए गए या

आर. आर. आई. भवन की सतह

कार्यालय

कर्मचारी और श्रम कार्यालय)

+ रुपये 1.2Lacs (रिलीज में देरी)

एस एंड टी संरचनाएँ और

प्रतिभूति राशि

और अंतिम

विभिन्न का विघटन

भरतपुर में संरचनाएँ-बिल) + 2 लाख रुपये (लागत का नुकसान)

आगरा फोर्ट स्टेशन यार्ड।

लाभ)

अनुबंध की कुल लागत रु।

कुल रु.

12,60,000 /

रु. 24,62,511.52/-, रु. 3.5

लाख और रु.

26,12,977,14 /

6316/2018 माया निर्माण

का निर्माण

रुपये

38,27,196/- (अंतिम बिल)

5 .

रतनगढ़ बाय पास।

राशि) + रुपये

17,78,231 /

प्राइवेट लिमिटेड

अनुबंध की कुल लागत रु. (पीवीसी अंतिम बिल

राशि) + रु. 50,63,738/- (प्रतिभूति जमा)

8,29,25, 822.68 /

& ई. एम.

डी.)

कुल रु. 1,06,69,165 /

भारत स्पन पाइप

6. 8597/2018

सड़क का निर्माण

रुपये

1,88,709/- (इसके तहत शुल्क लिया जाता है)

ओवर ब्रिजेस एक्रोस

हेड सेस) +

रुपये 8,36,386 /

& निर्माण कार्य

दौसा में रेलवे ट्रैक

कंपनी

(अंतिम पी.

वी. सी. विधेयक)

यार्ड।

अनुबंध की कुल लागत रु. कुल रु. 10,25,095 /

3,81,90, 423.68 / निऑन ऑफ इंडिया

बनाम

परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी [अजय रस्तोगी, जे.]

नए मेजर का निर्माण

रुपये 1,30,960/-

(भुगतान के लिए रोक दिया गया)

8596/2018

हर्ष निर्माण

विस्तार जोड़) + 1

लाख रुपये

ब्रिजजेनो 178

(पर

(बिल सं. से जुर्माने की

वापसी

बनास नदी)

अनुबंध की कुल लागत रु।

XXV) + 36 लाख

(लागत की वापसी)

10,51,42,109 /

पी. एस. सी. बॉक्स

गर्डर) + रुपये 3,19,573 /

(फाइनल खेलने में देरी के कारण हार

भुगतान) + रुपये

76,15,206/- (जोड़ा गया

सामग्री की लागत)

कुल रु. 1,17,65,739

भारत स्पन पाइप और

सड़क का निर्माण

8019/2018

रुपये 6,18,302/-
(शीर्ष के तहत प्रभारित)
उपकर) + रुपये 10,30,081/- (अंतिम पीवीसी

निर्माण कंपनी

रेलवे ट्रैक पर पुल

अनुबंध की कुल लागत रु।

बिल)

6,31,07, 472.50

कुल आर

$16,48,383 /

8021/2018 एस. बी.-एस. एच. सी.-एम. डी. पी. एल. (जे. वी.) प्रमुख पुलों का निर्माण रु. 27,93,752/- (कटौती की गई राशि)

खान-पान के काम सहित

जिसका भुगतान पहले
किया गया था

10 घंटे से कम

ओवरलैपिंग का खाता

अनुबंध की कुल लागत रु।

15,92,08, 761.97 /

नोर्निंग बिल) + रुपये
1,66,785/- (वाक)

कार्य क्रम के दायरे से

बाहर किया गया)

+ 7,98,214- (1
प्रतिशत उपकर की कटौती)
+ रुपये 5,78,144/- (देरी पर ब्याज)

भुगतान) + 28,085

रुपये

कंप्यूटर चोरी हो गया)

+ रुपये 24,87,864 /

(विस्तार संयुक्त की

लागत) + रु

1,81,008 / - (

मूल्य भिन्नता) + रु

60,390- (वाइल्डिंग

और बोल्टिंग)

कुल आर $70,94,237 /

फैरेट स्पनपाइप्स एंड

सड़क का निर्माण

44, 514/- रुपये

(शीर्ष के तहत प्रभारित)

7720/2018

उपकर) + रुपये

7,80,547 (अंतिम पीवीसी बिल)

निर्माण कंपनी

रेलवे ट्रैक पर पुल

अनुबंध की कुल लागत रु।

कुल आर

$8,25,061 /

2,98,59,531 /

राजेंद्र प्रसाद बंसल

8598/2018

मिस्क का निर्माण। , एईएन

8. 8 लाख रुपये (लाभ

का नुकसान) + 5 रुपये

कार्यालय, संकेत संरचना,

लाख (बुरे ऋण के

कारण नुकसान) और सरमे

प्लेटफॉर्मसफरफेसिंग, अस्थायी

मूल्य भिन्नता जैसे अन्य आधार,

स्थल कार्यालय, अतिरिक्त और

अंतिम बिल और प्रतिभूति का भुगतान न करना

मौजूदा संरचना में परिवर्तन, डेढ़ साल के लिए जमा और अंतिम बिल की राशि को हटाने और पुनर्निर्माण पर ब्याज

के बीच विभिन्न संरचनाएँ ईदगाह-आगरा फैट स्टेशन यार्ड। कुल रु. 138 लाख /

अनुबंध की कुल लागत रु।

[सटीक राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है

1,40,43,594 /

रिकर्ड पर दस्तावेज़]

[2019] 5 एस. सी. एफ.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12 डायरी नं.

भारत स्पन पाइप और

सड़क का निर्माण

रुपये

4,78,780-(सिर के नीचे शुल्क लिया जाता है)

उपकर) + रुपये

23,07,563/- (अंतिम पीवीसी

8885/2018

निर्माण कंपनी

रेलवे ट्रैक पर पुल

अनुबंध की कुल लागत

बिल) मूल्य

भिन्नता के साथ और

रुपये 5,47,26,451.47 /

ब्याज

कुल आर

$27,86,343 /

प्रमुख पुल का निर्माण

रुपये

7,21,733/- (10 प्रतिशत अधिक जोड़ने के लिए)

13 . 9514/2018 बीएम निर्माण

कनौता-जयपुर के बीच

सीमेंट) + रुपये

6,23,923/+ रुपये

कंपनी

स्टेशनों।

7,55,734 /

- (अतिरिक्त काम) + रु 11,07,561 / -स्टी की कीमत में भिन्नता

अनुबंध की कुल लागत

रुपये 8,46,08,660 /

खरीदा) + 4

एलएसी (दबाव का उपयोग करते हुए) रिंग्स) + 4,53,304/- (श्रम उपकर

प्रत्येक के लिए

60 लाख रुपये (20 लाख रुपये) व्यावसायिक हानि, मानसिक पीड़ा और

सामाजिक

अपमान) के साथ

ब्याज

कुल आर $1,93,34,667 /

बालाजी बिल्डर्स एंड

9559/2018

72 उहिट्स प्रकार का निर्माण-रुपये 1,32,71,424-(फिराल पी. वी. सी. बिल) + II, 108 उहिट्स प्रकार-III, 36 रुपये 50 लाख (इस्पात की कीमत में भिन्नता)

14

डेवलपर्स

इकाइयों का प्रकार-IV कई मंजिला पट्टियाँ)

मीनार और स्वास्थ्य इकाइयाँ,

खरीदारी परिसर और अन्य

कुल आर

$1,82,71,424 /

गेटेयर के पास सहायक कार्य

जगतपुर रेलवे स्टेशन।

रुपये 28,28,20,028 /

प्रमुख पुल का निर्माण

बीएम निर्माण

आर

$39,05,010/- (खाली श्रम के लिए)

15. 22263/2018

कंपनी

जटवाड़ा-कनौता के बीच

9 महीने का

वेतन) + रु

19,46970 /

- (प्रदान करने में देरी

स्टेशनों।

ड्राइंग) + रुपये

13,66,488/(कीमत

अनुबंध की कुल लागत

खरीदे गए

इस्पात की भिन्नता) +

रुपये 10,4484,441 /

21 चालू बिलों

से) +

रुपये 11,91,127/- (देरी पर ब्याज)

भुगतान) +

रुपये 56,40,327/- (प्रतिभूति

ब्याज के साथ

कुल आर $2,85,32,482/यूनियन ऑफ इंडिया v.

परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी [अजय रस्तोगी, जे.]

रुपये 16,74,748/- (प्रतिभूति)

16 . 11417/2018 केवाई निर्माण लघु का निर्माण को (जेवी) दौसा के बीच पुल - जमा) + रुपये 47,66,869 / लालसोट (बिल का भुगतान) + रुपये 31,33,116/- (की लागत अनुबंध की कुल लागत स्थल पर छोड़ी गई सामग्री) + रुपये 5,98,22,476 / 10 लाख रुपये (पी. एस. सी. स्लैब) अग्रिम) + रुपये 13.85 लाख (निष्क्रिय श्रम शुल्क) + मध्यस्थता) कुल रु. 1,20,09,733 /

17 . 11862/2018 हरिनारायण सीढ़ी का निर्माण

4, 82 रुपये,

283.26/- (अंतिम पीवीसी)

खंडेलवाल

आग निकास, ड्रिलिंग ट्यूब के लिए

बिल)

कुआँ, भूमिगत जल

टैंक, और अन्य

अनुबंध की कुल लागत

रुपये 1,56,63,006.87 /

35. प्रत्यर्थी ठेकेदार हैं और अपीलों के तत्काल बैच में रेलवे प्रतिष्ठान से जुड़े लोग या तो प्रतिभूति जमा/बैंक गारंटी की वापसी का दावा कर रहे हैं, जिसे जब्त कर लिया गया है या अंतिम चालान से वृद्धि लागत को एकतरफा रूप से कम कर दिया गया है।

बिना किसी औचित्य के। अभिलेख पर अभिवचनों से यह स्पष्ट है कि रेलवे प्रतिष्ठान के साथ निर्माण कार्यों के लिए अनुबंध करने वाले प्रत्यर्थी ठेकेदार नियोक्ता से कोई नाराजगी नहीं ले सकते हैं, विभिन्न कारणों से बिलों के तहत राशि जिसमें बैंक, वित्तीय संस्थानों और अन्य व्यक्तियों के प्रति उनके दायित्व का निर्वहन शामिल हो सकता है, वास्तव में रेलवे प्रतिष्ठान का अधिकार अधिक है। एक खंडन योग्य अनुमान लगाया जा सकता है कि जब अंतिम बिलों को एकतरफा कटौती के साथ उठाए जाने के समय निर्धारित प्रारूप में कोई दावा नहीं किया गया है, तब भी वह स्वीकार्य राशि जारी नहीं की जाएगी, जब तक कि अंतिम बिलों के साथ कोई दावा प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जा रहा है। उल्लिखित तथ्यों पर, इस न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा पॉलीफैब में निर्दिष्ट पैरा 52 (iii)

प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) वास्तव में वर्तमान ठेकेदारों के मामलों को शामिल करता है जिनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है और अंतिम बिलों के संदर्भ में निविदा राशि को स्वीकार करने के लिए वित्तीय दबाव में है।

प्रस्तुत किए गए और डिस्चार्ज वाउचर से, जिसे अपीलार्थियों द्वारा बचाव के रूप में लिया गया है, प्रथम दृष्टया स्वैच्छिक और [2019] 5 एस. सी. आर. नहीं कहा जा सकता है।

जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थियों द्वारा दावा किए गए समझौते और संतुष्टि द्वारा अनुबंध का निर्वहन किया गया है। हमारे सुविचारित विचार में, मध्यस्थता विवाद बना रहता है और अनुबंध का निर्वहन नहीं किया गया है जैसा कि अपीलकर्ता नियोक्ता (ओं) द्वारा दावा किया जा रहा है और इस संबंध में सभी दलीलें मध्यस्थता कार्यवाही में जांच के लिए खुली हैं।

36. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने भारत संघ और अन्य बनाम मास्टर कंस्ट्रक्शन के निर्णयों का उल्लेख किया है। कंपनी (ऊपर); न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ऊपर); ओएनजीसी मैंगलोर

पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम एएनएस कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड और ए. एन. आर. (ऊपर)। निर्दिष्ट सभी मामलों में, इस न्यायालय ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा के फैसले पर ध्यान दिया है।

पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) जिस पर विस्तृत चर्चा की गई है

इस मामले की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रथम दृष्टया इस बात को सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर एक सबूत है कि कोई भी दावा प्रमाण पत्र या अनुरोध पत्र स्वैच्छिक और जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव से मुक्त नहीं था और तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोई भी जीवित दावा मौजूद नहीं है, जो समझौते और संतुष्टि द्वारा अनुबंध के निर्वहन के बाद मध्यस्थता है।

37. अपीलार्थियों द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि उच्च

न्यायालय ने मध्यस्थ का सहारा लिए बिना एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने में त्रुटि की है जिसे अनुबंध के खंड 64 (3) के तहत संदर्भित विवाद को मध्यस्थता करने के लिए सौंपा गया है। इस मुद्दे की आगे जांच करने के लिए, उपखंडों में तीन खंडों पर ध्यान देना प्रासंगिक हो सकता है। अधिनियम, 1996 (पूर्व-संशोधित अधिनियम, 2015) की धारा 11 की धारा 6 जो निम्नानुसार है:

" (6) जहाँ, द्वारा सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के तहत

पार्टियाँ,

(क) एक पक्ष उस प्रक्रिया के तहत आवश्यकता के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है; या

(ख) पक्षकार, या दो नियुक्त मध्यस्थ, उस प्रक्रिया के तहत उनसे अपेक्षित समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं; या

(ग) एक व्यक्ति, एक संस्था सहित, उस प्रक्रिया के तहत उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को करने में विफल रहता है। एक पक्ष
मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति या संस्थान से आवश्यक उपाय करने का अनुरोध कर सकता है, जब तक कि भारत संघ v.

नियुक्ति प्रक्रिया पर समझौता नियुक्ति को सुरक्षित करने के लिए अन्य साधन प्रदान करता है।

38. धारा 11 की उप-धारा (6) का खंड (सी) किसी संस्था सहित किसी व्यक्ति को सौंपे गए किसी भी कार्य को करने में विफलता से संबंधित है और

पक्षों द्वारा सहमत प्रक्रिया के तहत कार्य करने में भी विफलता। में।

दूसरे शब्दों में, खंड (ए) उस प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्य करने में विफल रहने वाले पक्ष को संदर्भित करता है; खंड (बी) उस समझौते को संदर्भित करता है जहां पक्ष उस प्रक्रिया के तहत उनसे अपेक्षित समझौते तक पहुंचने में विफल रहते हैं और खंड (सी) एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो समझौते का पक्षकार नहीं हो सकता है, लेकिन उसने समझौते के लिए अपनी सहमति दे दी है और आगे जो स्पष्ट होता है वह यह है कि किसी अन्य विकल्प का सहारा लेने से पहले, सहमत प्रक्रिया को उसकी प्राथमिकता दी जानी चाहिए और समझौते की शर्तों को पक्षकारों द्वारा यथासंभव सहमति के अनुसार उसका उचित प्रभाव दिया जाना चाहिए। सुधारात्मक उपाय पहले किए जाने चाहिए और न्यायालय अंतिम उपाय है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम, 1996 की धारा 11 की उप-धारा (8) के संदर्भ में एक मध्यस्थ की नियुक्ति करके, समझौते द्वारा मध्यस्थ के लिए आवश्यक योग्यता को उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

पक्षकारों और अन्य विचारों जैसे कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ को सुरक्षित करना। संचित प्रकृति के नियमों और शर्तों के साथ उद्देश्य को पूरा करने के लिए, न्यायालय को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि अनुबंध के संदर्भ में पक्षों के बीच सहमति के अनुसार प्रदान किया गया उपचार पहले समाप्त हो जाए।

39. भारत संघ और एक अन्य बनाम में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस पर विचार किया गया है। एम. पी. गुप्ता (ऊपर)। ध्यान रखें

मध्यस्थता के लिए समझौते के खंड 64 में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दो राजपत्रित रेलवे अधिकारियों की नियुक्ति में समझौते के संदर्भ में निहित स्पष्ट प्रावधान को देखते हुए, उच्च न्यायालय इस मामले में न्यायोचित नहीं थाः

एकमात्र मध्यस्थ के रूप में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" 3. खंड 64 का सुसंगत भाग निम्नानुसार हैः

" 64. मध्यस्थता की मांग। - ***

(3) (क) (ii) दो मध्यस्थ, जो समान दर्जे के राजपत्रित रेलवे अधिकारी होंगे, जिन्हें खंड 64 (3) (ख) में निर्धारित तरीके से 1 करोड़ रुपये (पांच लाख रुपये) और उससे अधिक के सभी दावों के लिए नियुक्त किया जाएगा, और

ऐसे दावों की राशि या मूल्य की परवाह किए बिना सभी दावों के लिए, यदि

इसमें शामिल मुद्दे जटिल प्रकृति के हैं। जनरल प्रबंधक यह तय करने के लिए एकमात्र न्यायाधीश होगा कि क्या मुद्दे [2019] 5 एस. सी. आर.

शामिल एक जटिल प्रकृति के हैं या नहीं। दोनों मध्यस्थों के अपनी राय में अनिश्चित होने की स्थिति में, विवादग्रस्त मामले को एक अंपायर के पास भेजा जाएगा जिसे उसके निर्णय के लिए उपखंड (3) (बी) में निर्धारित तरीके से नियुक्त किया जाएगा। (3) (क) (iii) यह इस अनुबंध की एक अवधि है कि राजपत्रित रेलवे अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ/अंपायर के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए और यदि

किसी भी कारण से, जो संभव नहीं है, मामले को संदर्भित नहीं किया जाना है

बिल्कुल भी मध्यस्थता के लिए "।

4. उसमें निहित स्पष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए कि दो

राजपत्रित रेलवे अधिकारियों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाएगा, न्यायमूर्ति पी. के. बहरी को उच्च न्यायालय द्वारा एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सका। अकेले इस छोटे से आधार पर, चुनौती के तहत निर्णय और आदेश इस हद तक कि यह न्यायमूर्ति पी. के. बहरी को नियुक्त करता है

दो नव नियुक्त मध्यस्थ संदर्भ में प्रवेश करेंगे। एक और महीने की अवधि के भीतर और उसके बाद मध्यस्थ

तीन महीने की अवधि के भीतर अपना पुरस्कार देंगे।

40. भारत संघ में इस न्यायालय द्वारा इस पर आगे विचार किया गया था।

एक और बनाम। वी. एस. इंजीनियरिंग (पी) लिमिटेड (उपर्युक्त) निम्नानुसार हैः

" 3. की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अपीलार्थी भारतीय संघ ने बताया है कि खंड 63 के अनुसार

और अनुबंध की सामान्य शर्तों के 64, इस न्यायालय में नहीं अनिश्चित शर्तों ने अभिनिर्धारित किया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को होना चाहिए

अनुबंध की सामान्य शर्तों के अनुसार गठित, उच्च

न्यायालय को अधिनियम की धारा 11 के तहत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और

उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण को स्वीकार करना चाहिए

महाप्रबंधक, रेलवे। इस संबंध में, विद्वान ए. एस. जी. ने इस न्यायालय के उस निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जिसका सीधा संबंध इन पर थाः

भारत संघ में विषय v. एम. पी. गुप्ता [(2004) 10 एससीसी

504] जिसमें नियुक्ति के संबंध में एक समान प्रश्न

अनुबंध की सामान्य शर्तें इस न्यायालय के समक्ष आईं और इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहाँ दो राजपत्रित रेलवे अधिकारी हैं

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्त, उच्च न्यायालय को नहीं करना चाहिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करना और भारत का ओ. एन. V.

परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी [अजय रस्तोगी, जे.]

एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति को दरकिनार कर दिया गया। अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 63 और 64 की शर्तें लगभग हमारे हाथ में मौजूद शर्तों के समान हैं। उस मामले में भी अनुबंध के खंड 64 पर भरोसा करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

(एस. सी. सी पी. 505, पैरा 4)

" 4. इसमें निहित स्पष्ट प्रावधान को देखते हुए कि दो राजपत्रित रेलवे अधिकारियों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाएगा, न्यायमूर्ति पी. के. बहरी को उच्च न्यायालय द्वारा एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सका। केवल इस छोटे से आधार पर, निर्णय

और चुनौती के तहत आदेश को उस हद तक दरकिनार कर दिया जाता है जब वह न्यायमूर्ति पी. के. बहरी को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करता है। आज से 30 दिनों के भीतर, इसमें अपीलकर्ता दो राजपत्रित रेलवे अधिकारियों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेंगे। दो नव नियुक्त मध्यस्थ एक और महीने की अवधि के भीतर संदर्भ में प्रवेश करेंगे और

इसके बाद मध्यस्थ एक अवधि के भीतर अपना निर्णय देंगे।

तीन महीने के लिए।

और आगे इस न्यायालय द्वारा उत्तर रेलवे प्रशासन, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) में निम्नानुसार दोहराया गयाः

" 5. यह बताया गया है कि धारा 11 की उप-धारा (6) में तीन खंड हैं। खंड (सी) कार्य करने में विफलता से संबंधित है

किसी संस्था सहित किसी व्यक्ति को सौंपा गया और पक्षकारों द्वारा सहमत प्रक्रिया के तहत कार्य करने में विफलता। दूसरे शब्दों में, खंड (ए) समझौते के पक्षों को संदर्भित करता है। खंड (ग) एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो समझौते का पक्षकार नहीं हो सकता है लेकिन उसने

समझौते पर सहमति। यह भी बताया गया है कि एक

आवश्यक उपाय करने के लिए वैधानिक अधिदेश, जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया पर समझौते में अन्य साधन प्रदान नहीं किए गए हों

जितना संभव हो उतना करीब से पालन करें। सुधारात्मक उपाय पहले किए जाने चाहिए और न्यायालय अंतिम उपाय है। 6. यह भी बताया गया है कि धारा 11 की उप-धारा (8) के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति करते समय न्यायालय को [2019] 5 एस. सी. आर. को उचित सम्मान देना होगा।

पक्षकारों के समझौते और अन्य विचारों द्वारा मध्यस्थ के लिए आवश्यक किसी भी योग्यता के लिए जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति को सुरक्षित करने की संभावना है। यह बताया गया है कि ये दोनों स्थितियाँ प्रकृति में संचयी हैं। इसलिए, न्यायालय को सीधे नियुक्ति नहीं करनी चाहिए। इसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदान किया गया उपाय समाप्त हो गया है और न्यायालय वह करने के लिए कह सकता है जो नहीं किया गया है। 12. धारा 11 की योजना को नंगे पढ़ने से पता चलता है कि समझौते की शर्तों का पालन करने और/या यथासंभव निकटता से प्रभाव डालने पर जोर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय वह करने के लिए कह सकता है जो नहीं किया गया है। न्यायालय को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन उपायों के लिए प्रावधान किया गया है वे समाप्त हो गए हैं। जैसा कि श्री देसाई ने तर्क दिया है, यह सच है कि मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्थान के लिए नामित मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन साथ ही, द्वारा आवश्यक योग्यताओं को उचित ध्यान दिया जाना चाहिए

समझौता और अन्य विचार। और आगे, भारत संघ बनाम सिंह बिल्डर्स में

इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

खंड 64 की शर्तें। 12. पुराने अधिनियम (मध्यस्थता अधिनियम, 1940) से उत्पन्न होने वाले मामले पर विचार करते हुए, यह न्यायालय भारत संघ बनाम. एम. पी. गुप्ता [(2004) 10 एस. सी. सी. 504] ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति को एकमात्र माना।

खंड 64 के विपरीत मध्यस्थ (जिसके लिए राजपत्रित सेवा की आवश्यकता होती है)

रेलवे अधिकारियों की नियुक्ति) अस्वीकार्य थी।

13. नया अधिनियम लागू होने के बाद की स्थिति अलग है, जैसा कि इस न्यायालय ने उत्तर रेलवे प्रशासन में समझाया है। , मंत्रालय

रेलवे वी. पटेल एंग। कं. लिमिटेड [(2008) 10 एससीसी 240]। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थता समझौते में नामित मध्यस्थों की नियुक्ति अनिवार्य या अनिवार्य नहीं है, लेकिन इस पर जोर दिया गया है भारत के मध्यस्थता संघ की शर्तों पर होना चाहिए।

पारमार निर्माण कंपनी

[अजय रस्तोगी, जे।]

समझौते का पालन किया जा रहा है और/या प्रभाव दिया जा रहा है, जितना करीब से

संभव है।

14. यह आगे उत्तर रेलवे मामले में आयोजित किया गया था [(2008) 10

एस. सी. सी. 240] कि मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्यस्थता समझौते के तहत प्रदान किए गए उपाय हैं

समाप्त हो गया है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (8) की दोहरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। इसका मतलब यह होगा कि हमेशा अदालत को पहले काम करना चाहिए

मध्यस्थता समझौते में दिए गए तरीके से मध्यस्थों की नियुक्ति करें। लेकिन जहां मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में नियुक्त/नामित मध्यस्थ (ओं) की स्वतंत्रता और निष्पक्षता संदेह में है, या जहां मध्यस्थता समझौते में प्रदान किए गए तरीके से नियुक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने काम नहीं किया है और नई नियुक्ति करना आवश्यक हो जाता है, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति के लिए प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए उचित वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए शक्तिहीन नहीं है।

मध्यस्थता "।

की शर्तों के तहत उत्पन्न मतभेदों/विवादों को निपटाने के लिए समझौता एक नामित मध्यस्थ की नियुक्ति के माध्यम से अनुबंध हालांकि

मध्यस्थता समझौते में नाम अनिवार्य या अनिवार्य नहीं है, लेकिन मध्यस्थता समझौते की शर्तों का पालन करने या यथासंभव निकटता से प्रभाव डालने पर हमेशा जोर दिया जाना चाहिए। 42. दातार स्विचगियर्स लिमिटेड मामले (ऊपर); पुंज लॉयड मामले (ऊपर) और भारत संघ बनाम भारत बैटरी में निर्णय।

मैन्युफैक्चरिंग कं. (पी) लिमिटेड मामला (उपरोक्त) जिस पर प्रत्यर्थियों/ठेकेदारों के लिए विद्वान वकील द्वारा निर्भरता रखी गई है, इस कारण से सहायक नहीं हो सकता है कि इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न यह था कि यदि एक पक्ष विरोधी पक्ष से एक व्यक्ति को नियुक्त करने की मांग करता है। मध्यस्थ और दूसरा पक्ष 30 दिनों के भीतर एक मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है कि इसका कानूनी परिणाम क्या होगा और मामलों (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष से मध्यस्थ नियुक्त करने की मांग करता है और

यदि विरोधी पक्ष 30 दिनों के भीतर नियुक्ति करने में विफल रहा है, तो नियुक्ति करने का अधिकार जब्त नहीं किया जाता है, लेकिन जारी रहता है, लेकिन पूर्व को आवेदन करने से पहले एक नियुक्ति करनी होती है [2019] 5 एस. सी. आर.

धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करना। तत्काल मामलों में, विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या मुख्य न्यायाधीश या अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उसके नामित व्यक्ति को सीधे एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति करनी चाहिए, पहली बार में, यह सुनिश्चित करने का सहारा लिए बिना कि मध्यस्थता समझौते के तहत प्रदान किए गए उपचार समाप्त हो गए हैं।

43. अपीलों के वर्तमान समूह में मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर कभी संदेह नहीं किया गया है, लेकिन जहां मध्यस्थ की निष्पक्षता पर संदेह किया गया है।

मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में मध्यस्थ संदेह में है या जहां मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में नियुक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने कार्य नहीं किया है, या बिना कोई कारण बताए कार्यवाही को समाप्त करने या पुरस्कार पारित करने में विफल रहा है और मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति की नई नियुक्ति करना आवश्यक हो गया है।

उचित मामलों में ठोस कारण निर्धारित करने के बाद की परिस्थितियाँ

अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति को प्रभावी बनाने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था का सहारा लें। पूर्वोत्तर रेलवे और अन्य बनाम ट्रिपल इंजीनियरिंग वर्क्स (उपरोक्त) में, हालांकि जीसीसी के तहत अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 64 (3) (ए) (ii) और (iii) के अनुसार मध्यस्थों का पैनल वर्ष 1996 में नियुक्त किया गया था, लेकिन दो दशकों तक, मध्यस्थ पुरस्कार पारित करने में विफल रहा और कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। दी गई स्थिति में, इस न्यायालय ने कहा कि अनुबंध की सामान्य शर्तें समझौते के तहत नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थों की कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं करती हैं, सिवाय इसके कि वे रेलवे अधिकारी होने चाहिए।

समझौता विशेष रूप से एक मध्यस्थ की किसी विशेष योग्यता (ओं) के लिए प्रदान करने के लिए था जो न्यायालय की शक्ति को अस्वीकार नहीं करेगा।

धारा 11 (6) के तहत वहां से प्रस्थान करने के लिए कार्य करना और तदनुसार, अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की पुष्टि की। भारत संघ और अन्य बनाम उत्तर में इस न्यायालय द्वारा लगभग इसी स्थिति की जांच की गई थी।

प्रदेश राज्य पुल निगम लिमिटेड (ऊपर) और उत्तर पूर्वी रेलवे और अन्य पर निर्भरता रखने के बाद बनाम ट्रिपले

इंजीनियरिंग वर्क्स (उपरोक्त) ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण विफल रहा है कार्यवाहियों का निष्पादन और समापन करने के लिए, अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया। दी गई परिस्थितियों में, यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह पहले निम्नलिखित शर्तों के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति में तंत्र का सहारा ले।

पार्टियों द्वारा सहमति के अनुसार अनुबंध और डिफ़ॉल्ट प्रक्रिया को यूनियन ऑफ इंडिया v.

पारमार निर्माण कंपनी

[अजय रस्तोगी, जे।]

यदि मध्यस्थ को समझौते के अनुसार नियुक्त किया जाता है तो उसका सहारा लिया जाना चाहिए

अपने दायित्वों का निर्वहन करने या विवाद का मध्यस्थता करने में विफल रहा जो किसी भी पक्ष द्वारा स्थापित मामला नहीं था।

44. निष्कर्ष के लिए, हमारे सुविचारित विचार में, उच्च न्यायालय का सहारा लिए बिना एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति करना उचित नहीं था

एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जो पक्षकारों द्वारा सहमत अंतर्निर्मित तंत्र के तहत अनुबंध के खंड 64 (3) के तहत निर्धारित की गई है।

45. नतीजतन, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलार्थियों को मध्यस्थ नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है

प्रत्येक प्रत्यर्थी/ठेकेदार को सूचित करते हुए आज से एक महीने की अवधि के भीतर समझौते के खंड 64 (3) की शर्तें और चूंकि पहले चरण में ही मध्यस्थ की नियुक्ति में पर्याप्त समय लग गया है और अधिकांश प्रत्यर्थी छोटे ठेकेदार हैं, इसलिए प्रत्येक प्रत्यर्थी द्वारा उसके बाद चार सप्ताह के भीतर दावे का विवरण प्रस्तुत किया जाए और मध्यस्थ पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद दावे पर तेजी से निर्णय ले सकता है।

कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से की गई टिप्पणियों से प्रभावित/बाधित हुए बिना। 46. अपीलों के समूह का तदनुसार संकेतित शर्तों पर निपटारा किया जाता है। कोई लागत नहीं।

47. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

निधि जैन